रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274618
CG-DL-E-20072026-274618

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948
No. 579] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 638(अ) .—चूंकि, राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी, उक्त अधिनियम के अधीन पुनर्गठन से पूर्व, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत एक सोसाइटी थी, तथा उस क्षमता में उसने राष्ट्रीय डोप-रोधी नियम, 2021 विरचित किए थे, जो विश्व डोप-रोधी एजेंसी द्वारा समय-समय पर अंगीकृत एवं संशोधित किए जाने वाले विश्व डोप-रोधी संहिता के अधीन अपनी बाध्यताओं के अनुसरण में डोप-रोधी गतिविधियों तथा डोप-रोधी ढ़ांचे के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों पर लागू प्रक्रियाओं का विनियमन करते हैं;

और जबकि, खेलों के लिए राष्ट्रीय डोप-रोधी बोर्ड की स्थापना नहीं होने तक और उक्त बोर्ड तथा राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 30 एवं 31 के अधीन विनियम नहीं बनाए जाने तक, किसी भी प्रचालानात्मक ढ़ांचे के अभाव में डोप-रोधी गतिविधियों के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, जिससे उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है;

पूर्वोक्त वर्णित कठिनाई उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न हुई है और उक्त कठिनाई को दूर करना समीचीन है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डोप-रोधी अधिनियम, 2022 (2022 का 15) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश बनाती है,

अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डोप-रोधी (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2026 है ।

(2) यह दिनांक [17,जुलाई, 2026] से प्रवृत्त होगा तथा यह तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन खेलों के लिए राष्ट्रीय डोप-रोधी बोर्ड तथा धारा 31 के अधीन राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी द्वारा विनियम अधिसूचित नहीं किए जाते ।

2. राष्ट्रीय डोप-रोधी नियम, 2021 का निरंतर लागू रहना—(1) राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय डोप-रोधी नियम, 2021 जो उक्त अधिनियम, के प्रारंभ से ठीक पूर्व लागू थे, उन सभी विषयों पर लागू रहेंगे जो उनके उपबंधों के अंतर्गत आते हैं, जब तक कि उक्त अधिनियम की यथास्थिति, धारा 30 या 31 के अधीन समान विषयवस्तु पर विनियम अधिसूचित नहीं कर दिए जाते ।

(2) इस आदेश के प्रवृत्त रहने की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय डोप-रोधी नियम, 2021 के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई, प्रारंभ की गई कोई भी कार्यवाही अथवा किया गया कोई भी अवधारण, उक्त अधिनियम के अधीन विधिवत रूप से की गई, प्रारंभ की गई या किया गया समझा जाएगा ।

[फा. सं. जे/13/2026-एसपी-V]

विनील कृष्णा रावेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2026

G.S.R.. 638(E).—Whereas, the National Anti-Doping Agency was, prior to its reconstitution under the said Act, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) and had, in that capacity, framed the National Anti-Doping Rules, 2021 governing anti-doping activities, and procedures applicable to persons within the anti-doping framework, pursuant to its obligations under the World Anti-Doping Code as adopted and amended from time to time by the World Anti-Doping Agency;

And whereas, until such time as the National Board for Anti-Doping in Sports is established and such Board and the National Anti-Doping Agency makes regulations under sections 30 and 31 of the said Act, a difficulty may arise in carrying out anti-doping activities in the absence of any operative framework, which may impede the effective implementation of the provisions of the said Act;

And whereas, the aforementioned difficulty has arisen in giving effect to the provisions of the said Act and it is expedient to remove the said difficulty;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 of the National Anti-Doping Act, 2022 (15 of 2022), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the National Anti-Doping (Removal of Difficulties) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the 17th day of July, 2026, and shall be in force till such time regulations are notified by the National Board for Anti-Doping in Sports under section 30 and by the National Anti-Doping Agency under section 31 of the said Act.

2. Continued applicability of the National Anti-Doping Rules, 2021.— (1) The National Anti-Doping Rules, 2021 adopted by the National Anti-Doping Agency, which were applicable immediately prior to the commencement of the said Act, shall continue to apply for all matters covered by its provisions until such time that regulations on the same subject matter are notified under sections 30 or 31 of the said Act, as the case may be.

(2) Any action taken, proceedings initiated, or any determination made in accordance with the National Anti-Doping Rules, 2021, during the period this order is in force, shall be deemed to have been validly taken, initiated, or made under the said Act.

[F. No. J/13/2026-SP-V]

VINEEL KRISHNA RAVELLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.20 15:51:23 +05'30'